प्रेषक,

संख्या– 256 / VI-3 / 2023–34(15)2022

अभिनव कुमार
विशेष प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

खेलकूद अनुभाग

देहरादून : दिनांक 17 अप्रैल, 2023

विषयः– उत्तराखण्ड के समस्त तहसीलों, जनपद, मण्डल तथा राज्य में "मुख्यमंत्री खेल विकास निधि (Chief Minister Sports Development Fund)" की स्थापना/लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक संख्या–813, दिनांक 27 जुलाई, 2022 एवं उप सचिव, मंत्रिपरिषद अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन के अशासकीय पत्र संख्या–4/2/II/XXI/2023–सी0एक्स0, दिनांक 17 फरवरी, 2023 के कम में "मुख्यमंत्री खेल विकास निधि (Chief Minister Sports Development Fund) की स्थापना" किये जाने के सम्बन्ध में मंत्रिमण्डल के उपरोक्त निर्णय का कियान्वयन के कम में अवगत कराना है कि वर्ष 2000 में खेल निदेशालय, उत्तराखण्ड की स्थापना हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य प्रदेश में ग्रामीणांचलों/शहरी युवाओं एवं युवतियों, बालक, बालिकाओं का चयन कर प्रदेश में स्थापित स्पोर्ट्स स्टेडियम में तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करने के साथ–साथ उत्कृष्ट एवं उदीयमान खिलाड़ियों को उनकी प्रतिभा के अनुरूप विशेषज्ञों की टीम द्वारा चयनित कर उन्हें प्रदेश में स्थापित स्पोर्ट्स हॉस्टल, स्पोर्ट्स कॉलेज में रखकर भोजन, रहने हेतु छात्रावास की व्यवस्था के साथ अन्य सुविधायें मुहैया कराते हुए तकनीकी रूप से प्रशिक्षित कर उन्हें प्रदेशीय, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिये तैयार करना था। स्पोर्ट्स कॉलेज, स्पोर्ट्स हॉस्टल, स्पोर्ट्स स्टेडियम में प्रशिक्षित बच्चों ने राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लिया, जिससे खेल विभाग की योजनाओं को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई।

2– प्रदेश में खेल के बहुमुखी विकास के लिये वर्ष 2021 में जनपदों में "मुख्यमंत्री खेल विकास निधि" के गठन का निर्णय उत्तराखण्ड शासन द्वारा लिया गया। उक्त के दृष्टिगत खेल नीति, 2021 प्रख्यापित की गयी। उक्त खेल नीति की गठन करने की परिकल्पना थी कि खेलों के प्रति अभिरूचि के अवसर जिला स्तर पर विकसित किये जायें, जिससे कि खेल संस्कृति को बढ़ावा मिल सके। यह खेल नीति सीमित दायरे में कुछ ही घटकों से गठित थी, जिसके दृष्टिगत जनसंख्या की दृष्टि से तथा नवीन खेलों में खिलाड़ियों की बढ़ती रूचि व प्रतिस्पर्धा में सहभागिता, विशिष्टिकरण क्षमता वृद्धि की दृष्टि से आवश्यक थी कि समस्त निचले स्तर से उच्च स्तर तक सभी विशेषकर ओलम्पिक खेलों में अधिक से अधिक प्रतिभा को लाभ मिल सके। चूंकि परिवार, गांव, ब्लॉक, तहसील जहां से प्रतिभायें और युवा वर्ग के पास योग्यताओं का प्रचुर मात्रा में भण्डार है, उसका सुसंगत एवं व्यवस्थित ढंग से चयन व विकास की आवश्यकता एवं प्रतिस्पर्धा, जानकारी, प्रचार–प्रसार की दृष्टि से मुख्यमंत्री खेल विकास निधि का गठन होने के बाद गांव स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक श्रृंखलाबद्ध ढंग से एकरूपता देखने का मिलेगी। खिलाड़ियों को योजनाओं की पारदर्शी ढंग से अधिक से अधिक लाभ देने एंव गांव स्तर से प्रदेश स्तर तक युवाओं एवं खिलाड़ियों को चिन्हाँन कर खेलों में प्रतिभागिता वृद्धि, खेल कौशल में उत्कृष्टता लाने एवं स्थानीय एवं परम्परागत खेलों को बढ़ावा देने के लिये "मुख्यमंत्री खेल विकास निधि" के गठन की नितान्त आवश्यकता थी। उक्त को ध्यान में रखते हुए "मुख्यमंत्री खेल विकास निधि" का गठन किये जाने का निर्णय लिया गया है।

3– ''मुख्यमंत्री खेल विकास निधि'' के निम्नवत् उद्देश्य व लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं :–

(1) राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार एवं अन्य राज्य सरकारों की भांति प्रारम्भ में खेल विकास निधि हेतु कॉरपस फण्ड के रूप में ₹5.00 करोड़ की धनराशि की स्वीकृति।

(2) हरियाणा राज्य की तर्ज पर उत्तराखण्ड राज्य में भी शराब एवं बियर की प्रति बोतल पर ₹1.00 की दर से स्पोर्ट्स सेस का अधिरोपण।

(3) उक्त निधि के संचालन हेतु किसी संस्था/संगठन/अन्य किसी फोरम/व्यक्ति विशेष से डोनेशन प्राप्त करने के विकल्प को भी धनराशि की प्राप्ति में सम्मिलित किया जायेगा। इस हेतु दानदाता को टैक्स में रियायत दिये जाने का आय–कर अधिनियम, 1961 की धारा 80–जी में प्रावधान है।

(4) राज्य में स्थापित सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की कम्पनियों के द्वारा CSR (सी0एस0आर0) फण्ड/मद के तहत इस खेल विकास निधि में योगदान हेतु अनुरोध करना।

(5) खेल विभाग द्वारा निर्मित सभी खेल अवस्थापना सुविधाओं के व्यावसायिक उपयोग हेतु दरों का निर्धारण कर इससे प्राप्त होने वाली समस्त आय खेल विकास निधि में स्थानान्तरित करने की व्यवस्था लागू करना।

(6) ''खेल विकास निधि'' के संचालन हेतु मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में एक गवर्निंग बॉडी का गठन किया जायेगा, जो इस खेल विकास निधि का संचालन करेगी, जिसमें निम्नलिखित सदस्यगण होंगे :–

1.	मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड सरकार	–	अध्यक्ष
2.	मा0 खेल मंत्री, उत्तराखण्ड सरकार	–	सह अध्यक्ष
3.	प्रमुख सचिव/सचिव, खेल, उत्तराखण्ड शासन	–	सदस्य
4.	प्रमुख सचिव/सचिव, आबकारी, उत्तराखण्ड शासन	–	सदस्य
5.	प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन	–	सदस्य
6.	प्रमुख सचिव/सचिव, उद्योग, उत्तराखण्ड शासन	–	सदस्य
7.	अपर सचिव, खेल, उत्तराखण्ड शासन	–	सदस्य
8.	निदेशक, खेल, खेल निदेशालय, देहरादून।	–	सदस्य सचिव
9.	मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा नामित 03 विशेषज्ञ	–	विशेष आमंत्रित सदस्य

(7) समय–समय पर मामलों को प्रबन्धन करने के लिये एक Executive Committee मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में रहेगी, जिसमें निम्नलिखित सदस्यगण होंगे :–

1.	मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन	–	अध्यक्ष
2.	सचिव, खेल, उत्तराखण्ड शासन	–	उपाध्यक्ष
3.	सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन	–	सदस्य
4.	अपर सचिव, खेल, उत्तराखण्ड शासन	–	सदस्य
5.	प्रधानाचार्य, महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज, देहरादून	–	सदस्य
6.	निदेशक, खेल, खेल निदेशालय	–	सदस्य सचिव/ सी0ई0ओ0

4— उक्त के अतिरिक्त साथ ही ''मुख्यमंत्री खेल विकास निधि'' के संचालन किये जाने हेतु उक्त का पंजीकरण सोसाईटी एक्ट—1860 के अन्तर्गत कर यथा—निहित प्रकियानुसार Rules/Regulation/MoA/Power of Financial Delegation के अनुमोदन के लिये मुख्य सचिव महोदय को इस हेतु नामित किया गया है।

5— इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त उल्लिखित प्रविधानित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। साथ ही ''मुख्यमंत्री खेल विकास निधि'' से संबंधित विस्तृत दिशा—निर्देश/शर्तें पृथक से निर्गत किये जायेंगे तथा यदि शासन स्तर से कोई कार्यवाही अपेक्षित हो तो प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि समयान्तर्गत यथा—प्रकिया कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

भवदीय,
13/4
(अभिनव कुमार)
विशेष प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्या— 256 /VI-3/2023—34(15)2022, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि, निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2. निजी सचिव, मा0 खेल मंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
4. निजी सचिव, सचिव, गोपन (मंत्रिपरिषद) विभाग/आबकारी विभाग/वित्त विभाग/उद्योग विभाग, उत्तराखण्ड शासन को सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. प्रधानाचार्य, महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज, रायपुर, देहरादून।
7. समस्त जिला कीड़ा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(जितेन्द्र कुमार सोनकर)
अपर सचिव।